

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग III - खण्ड 4

प्राधिकार से प्रकाशित

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2015

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 15 जनवरी, 2015

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015

सं.एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/21/85.- बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (छ) और धारा 12क के खंड (घ) एवं खंड (ड) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, प्रतिभूतियों में अंतरंग व्यापार के प्रतिषेध हेतु एक ढाँचा निर्धारित करने के लिए और उसके विधिक ढाँचे को मजबूत बनाने के लिए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

### अध्याय - I

#### प्रारंभिक

#### संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 कहा जा सकेगा ।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे ।

### परिभाषाएँ

2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों, पदों और उनके उद्धरणों के वही अर्थ होंगे जो नीचे उनके लिए नियत हैं:-

(क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है;

(ख) "बोर्ड" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) "अनुपालन अधिकारी" से ऐसा कोई ज्येष्ठ अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस प्रकार पदाभिहित हो और जो निदेशक बोर्ड या बोर्ड के न होने की दशा में संगठन के प्रधान को रिपोर्ट करता हो, जिसे वित्त-संबंधी ज्ञान हो तथा जो इन विनियमों के अधीन विधिक एवं विनियामक अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं को ठीक-ठीक समझने में समर्थ हो और जो, यथास्थिति, सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी के निदेशक बोर्ड या संगठन के प्रधान के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन नीतियों, प्रक्रियाओं के अनुपालन, अभिलेख रखने, अप्रकाशित कीमत संवदेनशील जानकारी रखने संबंधी नियमों के पालन का अनुश्रवण करने, व्यापारों (ट्रेड) का अनुश्रवण करने तथा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट संहिताओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा;

<sup>1</sup>[स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनार्थ, "वित्त-संबंधी ज्ञान रखने वाले व्यक्ति" से वह व्यक्ति अभिप्रेत होगा, जिसके पास मूल वित्तीय विवरणों, अर्थात् तुलन-पत्र (बैलेंस शीट), लाभ और हानि लेखा (प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट) और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण, को पढ़ने और समझने की योग्यता हो ।]

(घ) "संबद्ध व्यक्ति",-

(i) से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी कंपनी से सहयुक्त है या संबंधित क्रियाकलाप से छह महीने पूर्व की अवधि के दौरान सहयुक्त रहा हो, प्रत्यक्ष रूप

---

<sup>1</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया गया ।

से या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी हैसियत से, जिसमें सम्मिलित हैं - चाहे उसके अधिकारियों के साथ बार-बार संपर्क के कारण हो अथवा किसी संविदात्मक संबंध, वैश्वसिक संबंध या कार्यरत व्यक्ति (नियोजित व्यक्ति) के संबंध के तौर पर हो अथवा कंपनी के निदेशक, अधिकारी या कर्मचारी के तौर पर हो अथवा वह कोई पद धारण करता हो जिसके अंतर्गत उसके तथा कंपनी के बीच वृत्तिक या कारबारी संबंध, चाहे अस्थायी हो या स्थायी, सम्मिलित है, जो ऐसे व्यक्ति को, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक पहुँच रखने देता हो अथवा जिसके संबंध में इस प्रकार पहुँच रखने देना युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित हो ।

(ii) पूर्ववर्ती की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित प्रवर्गों के भीतर आने वाले व्यक्तियों के बारे में यह समझा जायेगा कि वे संबद्ध व्यक्ति हैं, जब तक कि प्रतिकूल सिद्ध नहीं हो जाता, -

- (क). खंड (i) में विनिर्दिष्ट संबद्ध व्यक्तियों का सीधा नातेदार; या
- (ख). नियंत्री (होल्डिंग) कंपनी या सहयुक्त कंपनी या समुनषंगी (सब्सिडियरी) कंपनी; या
- (ग). अधिनियम की धारा 12 में यथा विनिर्दिष्ट मध्यवर्ती अथवा उसका कर्मचारी या निदेशक; या
- (घ). निवेश कंपनी (इन्वेस्टमेंट कंपनी), न्यासी कंपनी (ट्रस्टी कंपनी), आस्ति प्रबंध कंपनी (एसेट मैनेजमेंट कंपनी) अथवा उनका कर्मचारी या निदेशक; या
- (ङ). स्टॉक एक्सचेंज का अथवा समाशोधन गृह (क्लीयरिंग हाउस) या समाशोधन निगम (क्लीयरिंग कारपोरेशन) का अधिकारी; या
- (च). पारस्परिक निधि (म्यूचुअल फंड) के न्यासी बोर्ड का सदस्य या पारस्परिक निधि की आस्ति प्रबंध कंपनी के निदेशक बोर्ड का सदस्य या उसका कर्मचारी; या
- (छ). कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(72) में यथा परिभाषित लोक वित्तीय संस्था (पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन) के निदेशक बोर्ड का सदस्य, या कर्मचारी; या
- (ज). बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त या प्राधिकृत स्व-विनियामक संगठन का अधिकारी

या कर्मचारी; या

(झ). कंपनी का बैंककार (बैंकर); या

(ज). समुत्थान, फर्म, न्यास, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या व्यक्तियों का संगम जिनमें कंपनी के निदेशक या उसके सीधे नातेदार या कंपनी के बैंककार, की धारिता (होलडिंग) या का हित दस प्रतिशत से अधिक हो;

**टिप्पण:** आशय यह है कि संबद्ध व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका कंपनी के साथ कोई ऐसा संबंध हो जिसके कारण ऐसी प्रत्याशा हो कि अप्रकाशित कीमत संवदेनशील जानकारी उसके कब्जे में हो सकती है। सीधे नातेदारों और ऊपर विनिर्दिष्ट अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों को भी संबद्ध व्यक्ति माना जाता है, किंतु यह तो एक गृहीत विधिक कल्पना है और जिसका खंडन किया जा सकता है। इस परिभाषा का आशय इसके दायरे में उन व्यक्तियों को भी लाने का है जो कदाचित कंपनी में कोई पद धारण न करते हों किंतु जो कंपनी तथा उसके अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में रहते हों और जो कंपनी के कार्यकलापों के संबंध में जानकारी रखते हों। आशय यह है कि इसके दायरे में उन व्यक्तियों को भी लाया जाये जो ऐसे किसी संबंध के फलस्वरूप जिसके कारण अप्रकाशित कीमत संवदेनशील जानकारी उनके कब्जे में हो सकती हो, किसी कंपनी या किसी वर्ग की कंपनियों से संबंधित अप्रकाशित कीमत संवदेनशील जानकारी तक पहुँच रख सकते हों या पहुँच सकते हों।

(ड) "साधारणतः उपलब्ध जानकारी" से वह जानकारी अभिप्रेत है जिस तक जनता बिना किसी भेदभाव के पहुँच रख सकती हो;

**टिप्पण:** आशय यह परिभाषित करने का है कि साधारणतः उपलब्ध जानकारी क्या होती है, ताकि यह आसानी से निर्धारित हो सके और समझा जा सके कि अप्रकाशित कीमत संवदेनशील जानकारी क्या है। किसी स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी को, आम तौर पर साधारणतः उपलब्ध जानकारी माना जायेगा।

(च) "सीधा नातेदार" से किसी व्यक्ति का पति या की पत्नी अभिप्रेत है, और जिसमें ऐसे व्यक्ति के अथवा उसके पति या उसकी पत्नी के माता-पिता, भाई या बहन, तथा संतान

सम्मिलित है, जिनमें से कोई भी या तो ऐसे व्यक्ति पर वित्तीय रूप से आश्रित हो, या ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में व्यापार (ट्रेडिंग) संबंधी निर्णय लेने (विनिश्चय करने) के संबंध में परामर्श करता हो;

**टिप्पण:** आशय यह है कि "संबद्ध व्यक्ति" के सीधे नातेदार भी इन विनियमों के प्रयोजनार्थ संबद्ध व्यक्ति बन जाते हैं। निश्चित ही, इसका खंडन किया जा सकता है।

(छ) "अंतरंग व्यक्ति" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है:

- i) जो संबद्ध व्यक्ति हो; या
- ii) जिसके कब्जे में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी हो या जो अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक पहुँच रखता हो;

**टिप्पण:** चूँकि "साधारणतः उपलब्ध जानकारी" तो परिभाषित है, फिर भी आशय यह है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी हो या जो अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक पहुँच रखता हो, "अंतरंग व्यक्ति" माना जाये, इस बात पर विचार किये बिना कि ऐसी जानकारी उसके कब्जे में कैसे आयी या ऐसी जानकारी तक वह कैसे पहुँचा। ऐसे व्यक्ति के लिए विभिन्न परिस्थितियाँ निर्धारित की गई हैं जिनके अनुसार वह यह साबित कर सकता है कि वह अंतरंग व्यापार में लिप्त नहीं रहा। इस प्रकार, इस परिभाषा का आशय इसके दायरे में ऐसे किसी व्यक्ति को लाने का है जिसे अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी प्राप्त हुई हो या जो अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक पहुँच रखता हो। इसलिए, यह साबित करने का दायित्व, कि व्यापार (ट्रेडिंग) के समय अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी किसी अमुक व्यक्ति के कब्जे में थी या वह उस तक पहुँच रखता था, उस व्यक्ति पर होगा जो ऐसा आरोप लगाता हो, जिसके बाद वह व्यक्ति जिसने उस समय व्यापार (ट्रेड) किया हो जब अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उसके कब्जे में रही या उसकी उस तक पहुँच रही, यह साबित कर सकेगा कि उसके कब्जे में ऐसी जानकारी नहीं थी या यह कि उसने व्यापार (ट्रेड) नहीं किया या वह ऐसी जानकारी तक पहुँच नहीं रख सकता था या यह कि ऐसी जानकारी उसके कब्जे में होने के दौरान उसके द्वारा किया गया व्यापार (ट्रेडिंग) पूरी तरह से क्षम्य परिस्थितियों के दायरे में आता था।

(ज) "संप्रवर्तक" (प्रमोटर) का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, <sup>2</sup>[2018] या उसके किसी उपांतर के अधीन इसके लिए नियत है;

<sup>3</sup>[(जक) "संप्रवर्तक समूह" का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 या उसके किसी संशोधन आदि के तहत उसके लिए नियत हो;]

<sup>4</sup><sup>5</sup>[(जख)] "सूचीबद्ध (लिस्टिड) किए जाने के लिए प्रस्तावित" में असूचीगत (अनलिस्टिड) कंपनी की प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) शामिल होंगी, यदि:

- (i) ऐसी असूचीगत (अनलिस्टिड) कंपनी ने बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) या कंपनी रजिस्ट्रार के पास, सूचीबद्धता (लिस्टिंग) के संबंध में, यथास्थिति, प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) या अन्य दस्तावेज दाखिल किए हों; या
- (ii) ऐसी असूचीगत कंपनी किसी विलय (मर्जर) या समामेलन (अमैलगमेशन) के अनुसरण में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हो रही हो और उसने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विलय या समामेलन की ऐसी स्कीम की प्रति दाखिल की हो;]

(झ) "प्रतिभूतियाँ" (या "प्रतिभूतियाँ") का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) या उसके किसी उपांतर के अधीन इसके लिए नियत है, और जिनमें पारस्परिक निधि की यूनियटें सम्मिलित नहीं होंगी;

(ञ) "विनिर्दिष्ट" से बोर्ड द्वारा लिखित रूप में विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है;

---

<sup>2</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से संख्या "2009" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2019 द्वारा 21 जनवरी, 2019 से अंतःस्थापित किया गया ।

<sup>4</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया गया ।

<sup>5</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 21 जनवरी, 2019 से खंड (जक) को खंड (जख) के रूप में पुनःसंख्याकित किया गया ।

(ट) "अधिग्रहण संबंधी विनियमों" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 और उसके कोई संशोधन अभिप्रेत हैं;

(ठ) "व्यापार" (ट्रेडिंग) से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है - किन्हीं प्रतिभूतियों में अभिदाय करना, को खरीदना, को बेचना, उनमें व्यौहार करना, या उनमें अभिदाय करने, को खरीदने, को बेचने, उनमें व्यौहार करने के लिए सहमत होना, और "ट्रेड" ("व्यापार") का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा;

**टिप्पण:** संसदीय अधिदेश के अधीन, चूँकि अधिनियम की धारा 12क (ड) एवं धारा 15छ में शब्दों 'प्रतिभूतियों में व्यौहार' का प्रयोग किया गया है, इसलिए आशय यह है कि शब्द "व्यापार" (ट्रेडिंग) को व्यापक रूप से परिभाषित किया जाये ताकि उसके अंतर्गत व्यौहार (डीलिंग) भी शामिल हो सके। ऐसा करने का आशय अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के आधार पर किये गये उन क्रियाकलापों पर काबू पाना है जो अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी रहने के दौरान खरीदने, बेचने या अभिदाय करने की कोटि में पूरी तरह से नहीं आते, जैसे गिरवी रखना आदि।

(ड) "व्यापार के दिन" (ट्रेडिंग डे) से वह दिन अभिप्रेत है जिस दिन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज व्यापार (ट्रेडिंग) के लिए खुले रहते हैं;

(ढ) "अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी" से कंपनी या उसकी प्रतिभूतियों से, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, संबंधित कोई ऐसी जानकारी अभिप्रेत है, जो साधारणतः उपलब्ध न हो जिसके साधारणतः उपलब्ध हो जाने पर प्रतिभूतियों की कीमत के तात्त्विक रूप से प्रभावित होने की संभावना हो सकती हो और जिसमें सामान्यतः निम्नलिखित से संबंधित जानकारी सम्मिलित होगी किंतु जो निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं होगी :-

- (i) वित्तीय परिणाम;
- (ii) लाभांश;
- (iii) पूँजी संरचना (कैपिटल स्ट्रक्चर) में परिवर्तन;

(iv) विलयन (मर्जर), अविलयन (डी-मर्जर), अर्जन (एक्विज़ीशन), असूचीबद्धताएँ (डीलिस्टिंग), व्ययन (डिस्पोज़ल) तथा कारबार का विस्तार और ऐसे अन्य संव्यवहार;  
(v) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन; और

<sup>6</sup>[\*\*\*\*\*]

**टिप्पण:** आशय यह है कि कंपनी या प्रतिभूतियों से संबंधित जो जानकारी साधारणतः उपलब्ध न हो, वह अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी होगी यदि जनता के लिए (पब्लिक डोमेन में) उसके उपलब्ध हो जाने पर कीमत के तात्त्विक रूप से प्रभावित होने की संभावना हो सकती हो। जो-जो जानकारी सामान्यतः अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी की कोटि में आती है, उसके कुछ उदाहरण मार्गदर्शन प्रदान करने की दृष्टि से ऊपर दिये गये हैं।

(2) इन विनियमों में उपयोग किये गये तथा अपरिभाषित किंतु भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15), प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) या कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) और उनके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उन विधानों में क्रमशः उनके लिए नियत हों।

## **अध्याय – II**

### **अंतरंग व्यक्तियों द्वारा संसूचना और व्यापार (ट्रेडिंग) पर निर्बंधन**

#### **अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी की संसूचना या उसकी प्राप्ति**

3. (1) कोई भी अंतरंग व्यक्ति, किसी कंपनी अथवा सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों के संबंध में, किसी व्यक्ति जिसमें अन्य अंतरंग

---

<sup>6</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से उप-खंड (vi) का लोप हो गया। इस संशोधन से पूर्व उप-खंड (vi) इस प्रकार था -

"(vi) सूचीबद्धता करार (लिस्टिंग एग्रीमेंट) के अनुसार महत्वपूर्ण घटनाएँ।"



व्यक्ति सम्मिलित हैं को कोई अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी संसूचित नहीं करेगा, उपलब्ध नहीं करायेगा, या किसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक पहुँच रखने की अनुज्ञा नहीं देगा (रखने नहीं देगा), सिवाय वहाँ जहाँ ऐसी संसूचना विधिसम्मत प्रयोजनों, कर्तव्यों के पालन या विधिक बाध्यताओं के निर्वहन हेतु हो ।

**टिप्पण :** इस प्रावधान का आशय उन समस्त अंतरंग व्यक्तियों, जिनके कब्जे में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी है, पर यह बाध्यता डालना है कि वे ऐसी जानकारी को सावधानीपूर्वक संभालकर रखें और अपना कारबार करते समय अपने पास रखी जानकारी के संबंध में कार्यवाही 'जानने की आवश्यकता के आधार पर ही' करें । इसका आशय यह भी है कि जिन संगठनों आदि के कब्जे में जो जानकारी हो वे उस जानकारी के संबंध में 'जानने की आवश्यकता' संबंधी सिद्धांतों के आधार पर पद्धतियाँ विकसित करें ।

(2) कोई भी व्यक्ति, किसी कंपनी अथवा सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित प्रतिभूतियों के संबंध में, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी रखने वाले किसी अंतरंग व्यक्ति से कोई संसूचना प्राप्त नहीं करेगा या उससे कुछ भी संसूचित नहीं करवायेगा, सिवाय वहाँ जहाँ ऐसी संसूचना विधिसम्मत प्रयोजनों, कर्तव्यों के पालन या विधिक बाध्यताओं के निर्वहन हेतु हो ।

**टिप्पण :** इस प्रावधान का आशय अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी को विधिविरुद्ध रूप से कब्जे में लेने पर रोक लगाना है । अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी को उत्प्रेरित करना और उसे प्राप्त करना इस प्रावधान के तहत अवैध होगा, यदि ऐसा किसी के विधिसम्मत कर्तव्यों हेतु और बाध्यताओं के निर्वहन हेतु न किया गया हो ।

<sup>7</sup>[(2क) सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी का निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) विनियम 8 के तहत बनाई गई "उचित प्रकटीकरण (डिस्कलोजर) संहिता और आचार संहिता" के भागस्वरूप "विधिसम्मत प्रयोजनों" का निर्धारण करने के लिए एक नीति बनाएगा ।]

---

<sup>7</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया गया ।

<sup>8</sup>[स्पष्टीकरण – उदाहरण के प्रयोजनार्थ, शब्दों “विधिसम्मत प्रयोजन” में शामिल होगा - अंतरंग व्यक्ति (इनसाइडर) द्वारा सामान्य कारबार के दौरान भागीदारों (पार्टनर्स), सहयोगियों (कोलैबोरेटर्स), उधारदाताओं, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, मर्चेन्ट बैंकरों (बैंककारों), कानूनी सलाहकारों, लेखापरीक्षकों (ऑडिटर्स), दिवाला संबंधी पेशेवर व्यक्तियों (इन्सॉल्वेन्सी प्रोफेशनल्स) या अन्य सलाहकारों या परामर्शदाताओं के साथ अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी साझा करना, बशर्ते कि ऐसी जानकारी इन विनियमों के प्रतिषेधों से बचने आदि के लिए साझा न की गई हो ।]

<sup>9</sup>[(2ख) जिस किसी व्यक्ति को “विधिसम्मत प्रयोजन” के अनुसरण में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी प्राप्त हुई हो, उसे इन विनियमों के प्रयोजनार्थ “अंतरंग व्यक्ति” समझा जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को इन विनियमों का पालन करते हुए ऐसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में विधिवत् सूचना दी जाएगी।]

(3) इस विनियम में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) के संबंध में, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी संसूचित की जा सकेगी, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उपलब्ध करायी जा सकेगी, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक पहुँच रखने की अनुज्ञा दी जा सकेगी या अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी प्राप्त की जा सकेगी :-

(i) जिसके अनुसार अधिग्रहण संबंधी विनियमों के अधीन खुला प्रस्ताव (ओपन ऑफर) लाने की बाध्यता हो जाये, जहाँ <sup>10</sup>[सूचीबद्ध (लिस्टिड)] कंपनी के निदेशक बोर्ड की सोच-समझकर यह राय बनी हो कि <sup>11</sup>[ऐसी जानकारी साझा

---

<sup>8</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया गया ।

<sup>9</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया गया ।

<sup>10</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया गया ।

<sup>11</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से शब्दों “प्रस्तावित संव्यवहार” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

करना] प्रस्तावित संव्यवहार कंपनी के सर्वोत्तम हित में है;

**टिप्पण :** आशय यह है कि महत्त्वपूर्ण संव्यवहारों, जैसे अधिग्रहणों, विलयनों और अर्जनों, जिनके अंतर्गत प्रतिभूतियों में व्यापार (ट्रेडिंग) और नियंत्रण में परिवर्तन शामिल हैं, के संबंध में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी को संसूचित करने, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी को उपलब्ध कराने, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक पहुँच रखने की अनुमति देने या अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने की आवश्यकता को स्वीकारा जाये, ताकि भावी निवेश का आकलन किया जा सके। अधिग्रहण संबंधी विनियमों के अधीन खुले प्रस्ताव में, न केवल कंपनी के सभी शेयरधारकों को एक ही कीमत उपलब्ध करायी जायेगी बल्कि ऐसी समस्त आवश्यक जानकारी [जो आम शेयरधारकों को सोच-समझकर निर्निहित करने (डाइवेस्टमेंट) या रखे रहने (रिटेंशन) का निर्णय लेने में समर्थ बनाये] भी उन विनियमों के अधीन प्रस्ताव पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) में सभी शेयरधारकों को उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित है।

(ii) जो अधिग्रहण (टेकओवर) संबंधी विनियमों के अधीन खुला प्रस्ताव लाने की बाध्यता को आकृष्ट न करता हो, किंतु जहाँ <sup>12</sup>[सूचीबद्ध (लिस्टिड)] कंपनी के निदेशक बोर्ड की सोच-समझकर <sup>13</sup>[यह राय बनी हो कि ऐसी जानकारी साझा करना] कंपनी के सर्वोत्तम हित में है और जो जानकारी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी की कोटि में आती हो वह किये जाने वाले प्रस्तावित संव्यवहार से व्यापार के कम से कम दो दिन (ट्रेडिंग डे) पूर्व, ऐसे रूप में जैसा निदेशक बोर्ड <sup>14</sup>[निर्धारित करे, ताकि उसमें सभी संबंधित तथा महत्त्वपूर्ण तथ्य पर्याप्त एवं निष्पक्ष रूप से शामिल हो जाएं], प्रसारित की जाती है, ताकि वह

---

<sup>12</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया गया।

<sup>13</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से शब्दों “यह राय बनी हो कि प्रस्तावित संव्यवहार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>14</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से शब्दों “अवधारित करे” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

साधारणतः उपलब्ध हो जाये ।

**टिप्पण :** आशय यह है कि ऐसे संव्यवहारों के संबंध में भी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी को संसूचित करने, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी को उपलब्ध कराने, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक पहुँच रखने देने या अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने की अनुमति दी जाये, जिनके अनुसार अधिग्रहण संबंधी विनियमों के अधीन खुले प्रस्ताव की बाध्यता न होती हो, <sup>15</sup>[जब ऐसा करना निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) द्वारा प्राधिकृत किया जाता हो यदि ऐसी जानकारी साझा करना] कंपनी के सर्वोत्तम हित में हो । हालाँकि, निदेशक बोर्ड (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) प्रस्तावित संव्यवहार से पहले ही ऐसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के सार्वजनिक प्रकटीकरण करवायेगा, ताकि बाजार में जानकारी को लेकर यदि कोई विषमता हो तो वह दूर हो सके ।

(4) उप-विनियम (3) के प्रयोजनार्थ, निदेशक बोर्ड पक्षकारों (पार्टियों) से यह अपेक्षा करेगा कि वे गोपनीयता और अप्रकटीकरण (नॉन-डिस्कलोजर) बाध्यताओं के संबंध में करार निष्पादित करें और ऐसे पक्षकार इस प्रकार प्राप्त जानकारी को गोपनीय रखेंगे, उप-विनियम (3) के प्रयोजन के सिवाय, और वे उस समय कंपनी की प्रतिभूतियों में अन्यथा व्यापार (ट्रेड) नहीं करेंगे जिस समय अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उनके कब्जे में हो ।

<sup>16</sup>[(5) निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) यह सुनिश्चित करेगा कि एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डाटाबेस बनाए रखा जाए, जिसमें, यथास्थिति, ऐसे व्यक्तियों या एंटिटियों के नाम शामिल किए जाएं जिनके साथ इस विनियम के तहत जानकारी साझा की जाती हो और जिसमें स्थायी खाता संख्या या जहाँ स्थायी खाता संख्या उपलब्ध न हो वहाँ कानून (विधि) के अनुसार प्राधिकृत किसी अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज की जानकारी शामिल

---

<sup>15</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से शब्दों "यदि ऐसा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>16</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया गया ।

की जाए । ऐसे डाटाबेस के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण आदि (जैसे टाइम स्टैम्पिंग और ऑडिट ट्रेल) भी लगाए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डाटाबेस के साथ कोई छेड़छाड़ न हो पाए ।]

#### **उस समय व्यापार (ट्रेडिंग) जब अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी कब्जे में हो**

4. (1) कोई भी अंतरंग व्यक्ति प्रतिभूतियों, जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों या सूचीबद्ध किये जाने के लिए प्रस्तावित हों, में उस समय व्यापार (ट्रेड) नहीं करेगा जिस समय अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उसके कब्जे में हो:

<sup>17</sup>[स्पष्टीकरण - यदि किसी व्यक्ति ने प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में उस समय व्यापार किया हो (ट्रेडिंग की हो) जब उसके पास (उसके कब्जे में) अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी हो, तो उसके व्यापारों (ट्रेड) के बारे में यह मान लिया जाएगा कि उसने ऐसी जानकारी से प्रेरित होकर व्यापार किया था;]

परंतु यह कि अंतरंग व्यक्ति परिस्थितियों को दर्शाकर अपनी निर्दोषिता साबित कर सकता है, जिनमें निम्नलिखित परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं :-

- (i) संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) <sup>18</sup>[अंतरंग व्यक्तियों (इनसाइडर्स)], जिनके कब्जे में वही अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी थी, के बीच बाजार से परे (ऑफ मार्केट) परस्पर अंतरण विनियम 3 को भंग किये बिना हुआ और दोनों पक्षकारों (पार्टियों) ने व्यापार (ट्रेड) संबंधी निर्णय (विनिश्चय) पूरी तरह से सोच-समझकर लिया था;

<sup>19</sup>[परंतु यह कि ऐसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी इन विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (3) के तहत प्राप्त न की गई

---

<sup>17</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया गया ।

<sup>18</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से शब्द “संप्रवर्तकों” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>19</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया गया ।

हो ।]

<sup>20</sup>[परंतु यह और कि बाजार से परे (आफ-मार्केट) किए जाने वाले ऐसे व्यापारों (ट्रेड) की रिपोर्ट अंतरंग व्यक्तियों (इनसाइडर) द्वारा कंपनी को दो कार्य-दिवसों के भीतर दी जाएगी । प्रत्येक कंपनी ऐसे व्यापारों (ट्रेड) के विवरण उस स्टॉक एक्सचेंज को, प्रकटीकरण (डिस्कलोजर) प्राप्त होने से या ऐसी जानकारी के पता चलने से व्यापार के दो दिनों (ट्रेडिंग डे) के भीतर सूचित करेगी, जहाँ प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों।]

<sup>21</sup>[(ii) लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांजैक्शन) ब्लॉक डील विंडो व्यवस्था के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों (जिन्होंने विनियम 3 का उल्लंघन न किया हो) के बीच हुआ जिनके पास अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी थी और दोनों पक्षकारों ने व्यापार (ट्रेड) का निर्णय सचेत होकर तथा सोच-समझकर लिया था;

परंतु यह कि ऐसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी किसी भी व्यक्ति द्वारा इन विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (3) के तहत प्राप्त न की गई हो ।

(iii) संबंधित लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांजैक्शन) सद्भावपूर्वक रूप से ऐसा लेनदेन करने की कानूनी या विनियामक (रेग्युलेटरी) बाध्यता के अनुसरण में किया गया था ।

(iv) संबंधित लेनदेन (संव्यवहार / ट्रांजैक्शन) ऐसे स्टॉक ऑप्शनों के प्रयोग के अनुसरण में किया गया था, जिनके संबंध में प्रयोग कीमत (एक्सरसाइज़ प्राइस) लागू विनियमों का पालन करते हुए पहले से तय की गई थी ।]

---

<sup>20</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया गया ।

<sup>21</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया गया ।

<sup>22</sup>[(v)] जो अंतरंग व्यक्ति व्यष्टि न हों, उनके मामले में: –

(क) व्यष्टि, जिनके कब्जे में ऐसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी थी, व्यापार (ट्रेडिंग) संबंधी निर्णय लेने (विनिश्चय करने) वाले व्यष्टियों से भिन्न थे और निर्णय लेने (विनिश्चय करने) वाले ऐसे व्यष्टियों के कब्जे में उस समय ऐसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी नहीं थी जब उन्होंने व्यापार (ट्रेड) करने का निर्णय लिया (विनिश्चय किया) था; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित और पर्याप्त इंतजाम किये गये कि इन विनियमों का अतिक्रमण न हो और जिन व्यष्टियों के कब्जे में जानकारी थी उन व्यष्टियों द्वारा कोई भी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी व्यापार (ट्रेडिंग) संबंधी निर्णय लेने (विनिश्चय करने) वाले व्यष्टियों को संसूचित नहीं की गयी थी और ऐसे इंतजामों को भंग किये जाने का कोई भी साक्ष्य नहीं है;

<sup>23</sup>[(vi)] व्यापार (ट्रेड) विनियम 5 के अनुसार निर्धारित की गयी व्यापार योजना (ट्रेडिंग प्लान) के अनुसरण में किये गये थे ।

***टिप्पण :*** जिस समय प्रतिभूतियों में व्यापार (ट्रेड) करने वाले व्यक्ति के कब्जे में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी रही हो, तो उस समय उसके द्वारा किये गये व्यापारों (ट्रेड) के बारे में यह माना जायेगा कि उसके द्वारा इस प्रकार किये गये व्यापार (ट्रेड) उसके कब्जे में रखी ऐसी जानकारी के भान से प्रेरित रहे । आशय यह है कि जिन कारणों से वह व्यापार (ट्रेड) करता है या जिन प्रयोजनों से वह संव्यवहारों (ट्रांजेक्सन) की आगमें (प्रोसीड्स) लगाता है, ऐसे कारण या ऐसे प्रयोजन यह तय करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं कि किसी व्यक्ति ने विनियम

---

<sup>22</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से खंड (ii), खंड (v) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो गया ।

<sup>23</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से खंड (iii), खंड (vi) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो गया ।

का उल्लंघन (अतिक्रमण) किया है या नहीं। आरोप लगाते समय ही यह साबित करना आवश्यक होगा कि उसने व्यापार (ट्रेड) उस समय किया जब अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उसके कब्जे में थी। एक बार जब यह सिद्ध हो जाये, तो अंतरंग व्यक्ति परंतुक में उल्लिखित परिस्थितियों को दर्शाकर अपनी निर्दोषिता (बेगुनाही) साबित कर सकता है, ऐसा न किये जाने पर यह माना जायेगा कि उसने प्रतिषेध का उल्लंघन (अतिक्रमण) किया होगा।

(2) संबद्ध व्यक्तियों के मामले में, यह सिद्ध करने का दायित्व कि अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उनके कब्जे में नहीं थी, ऐसे संबद्ध व्यक्तियों पर होगा और अन्य मामलों में यह दायित्व बोर्ड पर होगा।

(3) बोर्ड, समय-समय पर, ऐसे मानक और अपेक्षाएँ विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जैसा यह इन विनियमों के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे।

### **व्यापार (ट्रेडिंग) योजनाएँ**

5. (1) अंतरंग व्यक्ति व्यापार योजना बनाने का हकदार होगा और उसे अनुपालन अधिकारी को अनुमोदन तथा सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए पेश करेगा जिसके अनुसरण में व्यापार (ट्रेड) उसकी ओर से ऐसी योजना के अनुसार किये जा सकेंगे।

**टिप्पण:** इस प्रावधान का आशय उन व्यक्तियों को एक विकल्प देने का है जिनके कब्जे में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी हमेशा रहती हो और उन्हें नियमबद्ध रूप से प्रतिभूतियों में व्यापार (ट्रेड) करने में समर्थ बनाने का है। इस प्रावधान से अंतरंग व्यक्ति व्यापार योजना बनाने में समर्थ होगा, ताकि वह भविष्य में किये जाने वाले व्यापारों (ट्रेड) के लिए योजना बना सके। ऐसा करने से, व्यापार योजना के तहत वास्तव में व्यापार (ट्रेड) किये जाने के समय अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का होना, ऐसे व्यापारों (ट्रेड) को करने से प्रतिषिद्ध नहीं करेगा जिनके संबंध में वह अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी बनने से पहले ही निर्णय ले चुका था।



(2) ऐसी व्यापार योजना के अंतर्गत:-

(i) योजना के सार्वजनिक प्रकटीकरण से छह महीनों तक अंतरंग व्यक्ति की ओर से व्यापार (ट्रेडिंग) प्रारंभ नहीं किया जायेगा;

**टिप्पण:** आशय यह है कि व्यापार योजना का लाभ पाने के लिए, छह महीनों की विराम-अवधि (कूलिंग-ऑफ पीरियड) आवश्यक है । ऐसी अवधि उस अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी, जो व्यापार योजना बनाते समय अंतरंग व्यक्ति के कब्जे में हो, के साधारणतः उपलब्ध जानकारी बनने के लिए काफी लंबी मानी जाती है । इसे उस समय-अंतराल के लिए भी उचित अवधि माना जा सकता है जिसके दौरान नयी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी आ सकती हो, उस व्यापार योजना पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो पहले से ही बनायी गयी हो । प्रत्येक स्थिति में, यह ध्यान रहे कि यह तो केवल कानूनी तौर पर दी गयी विराम-अवधि है और इससे कार्रवाई से उन्मुक्ति नहीं मिलेगी यदि अंतरंग व्यक्ति के कब्जे में वही अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी योजना बनाये जाने के समय और उसे कार्यान्वित किये जाने के समय थी ।

(ii) किसी वित्तीय अवधि, जिसके लिए परिणामों की घोषणा प्रतिभूतियों के निर्गमकर्ता (इश्युअर) द्वारा की जानी अपेक्षित हो, के अंतिम दिन से पूर्व के व्यापार के बीसवें दिन और ऐसे वित्तीय परिणामों के प्रकटीकरण के पश्चात् व्यापार के दूसरे दिन के बीच की अवधि के दौरान व्यापार (ट्रेडिंग) नहीं किया जायेगा;

**टिप्पण:** चूँकि व्यापार योजना की कल्पना उस साधारण नियम के अपवाद के रूप में की गयी है, जिसके अनुसार अंतरंग व्यक्ति उस समय व्यापार (ट्रेडिंग) नहीं कर सकते जिस समय उनके कब्जे में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी हो, इसलिए यह महत्त्वपूर्ण है कि व्यापार योजना के अंतर्गत ऐसी मुनासिब अवधि के दौरान व्यापार (ट्रेडिंग) न किया जाये जो वित्तीय परिणाम घोषित किये जाने के आस-पास की अवधि हो क्योंकि उससे अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उत्पन्न हो सकती हो ।

(iii) कम से कम बारह महीनों की अवधि के लिए व्यापार (ट्रेडिंग) होगा;

**टिप्पण:** आशय यह है कि छोटी-छोटी अवधियों के लिए व्यापार योजनाओं की बार-बार

घोषणाएँ करना अनुचित होगा क्योंकि इनसे व्यापार (ट्रेड) करने के निर्णय और वास्तव में व्यापार (ट्रेड) किये जाने के बीच एक मुनासिब समय-अंतराल का तर्क महत्त्वहीन हो जायेगा । इसलिए, यह महसूस किया गया कि बारह महीनों का समय उचित रहेगा ।

(iv) व्यापार (ट्रेडिंग) ऐसी अवधि के लिए नहीं होगा जिसके दौरान दूसरी व्यापार योजना पहले से ही विद्यमान हो;

**टिप्पण:** आशय यह है कि एक ही समयावधि के दौरान अनेक व्यापार योजनाएँ चलाना उचित नहीं होगा । चूंकि अंतरंग व्यक्ति के लिए यह संभव होगा कि वह अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी को साधारणतः उपलब्ध जानकारी बनाने के लिए उसे प्रकाशित करने हेतु समय निर्धारित करे, बजाय इसके कि वह व्यापारों (ट्रेड) का समय निर्धारित करे, इसके लिए यह जरूरी है कि एक ही समयावधि के दौरान एक से अधिक योजना शुरू ही न की जा सके ।

(v) या तो किये जाने वाले व्यापारों (ट्रेड) के मूल्य का या फिर जिन प्रतिभूतियों का व्यापार (ट्रेड) किया जाना हो उन प्रतिभूतियों की संख्या का, व्यापार (ट्रेड) के स्वरूप के साथ-साथ, और उन अंतरालों, या उन तारीखों का उल्लेख होगा, जब ऐसे व्यापार (ट्रेड) किये जायेंगे; और

**टिप्पण:** आशय यह है कि जहाँ विनियम इस बारे में अधिक निर्देशात्मक और कड़े नहीं होने चाहिए कि व्यापार योजना के अंतर्गत क्या-क्या होना चाहिए, तो वहीं उनके अंतर्गत कुछ ऐसे मूलभूत मानदंड निर्धारित होने चाहिए जो व्यापार योजना में निहित हों और जिनके दायरे में योजना बनाते समय पूरी लचक रहे । व्यापार योजना के अंतर्गत व्यापारों (ट्रेड) का स्वरूप, अर्थात् अर्जन या व्ययन (डिस्पोज़ल), निर्धारित किया जाना चाहिए। व्यापार योजना के अंतर्गत उन प्रतिभूतियों के मूल्य को या उन प्रतिभूतियों की संख्या को भी निर्धारित किया जा सकेगा जिन प्रतिभूतियों में निवेश किया जाना हो या जिन प्रतिभूतियों को निर्निहित (डायवेस्ट) किया जाना हो । योजना के अंतर्गत निश्चित तारीखें और निश्चित समय-अंतराल निर्धारित किये जा सकेंगे ।

(vi) बाजार के दुरुपयोग के लिए प्रतिभूतियों में व्यापार (ट्रेडिंग) नहीं किया जायेगा ।

**टिप्पण:** ऐसी व्यापार योजना के आधार पर किया गया व्यापार (ट्रेडिंग) बाजार दुरुपयोग संबंधी कार्यवाहियों से पूर्ण उन्मुक्ति प्रदान नहीं करेगा । उदाहरण के लिए, विनियम 4 के साथ जोड़-तोड़ करके व्यापार योजना के तहत व्यापार (ट्रेडिंग) फायदेमंद हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी दिये जाने के समय में हेरफेर किये जाने की दशा में, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अशुद्ध व्यापारिक व्यापारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 के कथित उल्लंघन हेतु कार्यवाहियाँ शुरू की जा सकेंगी ।

(3) अनुपालन अधिकारी यह निर्धारित करने के लिए व्यापार योजना की समीक्षा करेगा कि क्या इस योजना से इन विनियमों के अतिक्रमण की कोई संभावना हो सकती है और वह ऐसे स्पष्ट वचनों की माँग करने का हकदार होगा जो ऐसे निर्धारण को समर्थ बनाने और योजना के अनुमोदन तथा उसके कार्यान्वयन के अनुश्रवण के लिए आवश्यक हों ।

<sup>24</sup>[परंतु यह कि व्यापारों (ट्रेड्स) की पूर्व-मंजूरी उस व्यापार (ट्रेड) के लिए अपेक्षित नहीं होगी, जो अनुमोदित (मंजूर) व्यापार योजना (ट्रेडिंग प्लान) के अनुसार किया गया हो ।

परंतु यह और कि व्यापार पटल (ट्रेडिंग विंडो) संबंधी मानदंड और कॉण्ट्रा ट्रेड संबंधी प्रतिबंध (निर्बंधन) उन व्यापारों (ट्रेड्स) के लिए लागू नहीं होंगे, जो अनुमोदित (मंजूर) व्यापार योजना (ट्रेडिंग प्लान) के अनुसार किए गए हों ।]

**टिप्पण:** आशय यह है कि अनुपालन अधिकारी को योजना की समीक्षा करनी होगी और उसे अनुमोदित करना होगा (मंजूरी देनी होगी) । ऐसा करने के लिए, वह अंतरंग व्यक्ति से यह घोषणा करने की अपेक्षा कर सकेगा कि उसके कब्जे में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी नहीं है या यह कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि जो भी अप्रकाशित

---

<sup>24</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया गया ।

कीमत संवेदनशील जानकारी उसके कब्जे में हो वह अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उसके द्वारा व्यापार (ट्रेड) प्रारंभ किये जाने से पहले साधारणतः उपलब्ध हो जाये । एक बार समाधान हो जाने पर, वह व्यापार योजना को अनुमोदित कर (मंजूरी दे) सकेगा, जिसे फिर इन विनियमों के अनुसार कार्यान्वित करना होगा ।

(4) एक बार अनुमोदित हो जाने के पश्चात् व्यापार योजना अप्रतिसंहरणीय होगी और अंतरंग व्यक्ति को अनिवार्यतः योजना कार्यान्वित करनी होगी, और इस प्रकार न तो वह इससे विचलित होने का हकदार होगा और न ही वह व्यापार योजना के दायरे से बाहर प्रतिभूतियों में कोई व्यापार (ट्रेड) करने का हकदार होगा:

परंतु यह कि व्यापार योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ नहीं किया जायेगा यदि कोई अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी, जो योजना बनाने के समय अंतरंग व्यक्ति के कब्जे में हो, कार्यान्वयन के प्रारंभ के समय साधारणतः उपलब्ध न हुई हो और ऐसी दशा में अनुपालन अधिकारी यह पुष्टि करेगा कि प्रारंभ को ऐसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के साधारणतः उपलब्ध जानकारी बन जाने तक आस्थगित कर दिया जाये जिससे कि विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अतिक्रमण से बचा जा सके ।

**टिप्पण:** आशय यह है कि चूँकि व्यापार योजना इस साधारण नियम की एक अपवाद है कि अंतरंग व्यक्ति (इनसाइडर) को उस समय व्यापार (ट्रेड) नहीं करना चाहिए जिस समय अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उसके कब्जे में हो, इसलिए योजना में बदलाव करना या उसके दायरे से बाहर व्यापार (ट्रेडिंग) करना इस अपवाद के पीछे छुपे मकसद को बेअसर कर देगा । व्यापार योजना का असर बाजार के अन्य निवेशकों द्वारा लिए जाने वाले व्यापार (ट्रेडिंग) संबंधी निर्णयों पर और कीमत-निर्धारण पर भी पड़ेगा । इसलिये, यह उचित या उपयुक्त नहीं है कि अंतरंग व्यक्ति को उस व्यापार योजना से विचलित होने (में बदलाव करने) की अनुमति दी जाये जिसके आधार पर बाजार में दूसरों ने प्रतिभूतियों के संबंध में अपनी राय कायम की हो ।

ऊपर दिये गये परंतुक का आशय उस संभावना पर गौर करना है कि व्यापार योजना बनाये जाने और इसे शुरू किये जाने के बीच के छह महीने के अंतराल के बावजूद यह

हो सकता है कि जो अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी अंतरंग व्यक्ति के कब्जे में हो, वह अब भी साधारणतः उपलब्ध न हो। ऐसी स्थिति में, योजना शुरू करना उस अध्यारोही सिद्धांत के विरोध में होगा कि ऐसी जानकारी कब्जे में होने के दौरान व्यापार (ट्रेड) न किये जायें। यदि वही अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी अब भी अंतरंग व्यक्ति के कब्जे में हो, तो व्यापार योजना के निष्पादन के प्रारंभ को आस्थगित कर दिया जाना (टाल देना) चाहिए।

(5) व्यापार योजना का अनुमोदन हो जाने पर, अनुपालन अधिकारी योजना उन स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित करेगा जिन स्टॉक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हों।

**टिप्पणः** आशय यह है कि विनियम 4 के अंतर्गत प्रतिषेधात्मक नियम के एक अहम अपवाद के मद्देनजर, यह अपेक्षित है कि व्यापार योजना जनता को प्रसारित की जाये। बड़े पैमाने पर बाजार में निवेश करने वाले निवेशक भी प्रतिभूतियों के अपने आकलन में और कीमत-निर्धारण में व्यापार योजना के अंतर्गत निहित संभावित संकेतकों पर इस आधार पर गौर करेंगे कि अंतरंग व्यक्ति अपनी व्यापार योजना में प्रतिभूतियों से संबंधित संभावनाओं को कैसे देखते हैं या प्रतिभूतियों के प्रति उनका क्या नज़रिया है।

### **अध्याय - III**

#### **अंतरंग व्यक्तियों द्वारा व्यापार (ट्रेडिंग) के प्रकटीकरण**

##### **साधारण उपबंध**

6. (1) इस अध्याय के अधीन प्रत्येक सार्वजनिक प्रकटीकरण ऐसे प्ररूप में किया जायेगा जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) इस अध्याय के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले प्रकटीकरणों में वे प्रकटीकरण सम्मिलित होंगे जो ऐसे व्यक्ति के सीधे नातेदारों द्वारा व्यापार (ट्रेडिंग), और किसी अन्य व्यक्ति, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति व्यापार (ट्रेडिंग) से संबंधित निर्णय लेता (विनिश्चय करता) हो, द्वारा व्यापार (ट्रेडिंग) से संबंधित हों।

**टिप्पण :** आशय यह है कि न केवल संबंधित व्यक्ति द्वारा किये गये व्यापारों (ट्रेड) का प्रकटीकरण करना होगा बल्कि सीधे नातेदारों द्वारा किये गये व्यापारों (ट्रेड) का भी प्रकटीकरण करना होगा, और ऐसे किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये व्यापारों (ट्रेड) का भी प्रकटीकरण करना होगा जिनके लिए संबंधित व्यक्ति व्यापार (ट्रेडिंग) संबंधी निर्णय (विनिश्चय) लेता हो । इन विनियमों का मुख्य उद्देश्य ऐसी स्थिति में व्यापार (ट्रेडिंग) से होने वाले दुरुपयोग को रोकना है जब अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी कब्जे में हो, और इसीलिये मायने यह रखता है कि क्या उस व्यक्ति के कब्जे में ऐसी जानकारी है जो व्यापार (ट्रेडिंग) संबंधी निर्णय लेता (विनिश्चय करता) है न कि यह कि क्या उस व्यक्ति के कब्जे में ऐसी जानकारी है जिसके पास व्यापारों (ट्रेड) का हक (टाइटल) है ।

(3) प्रतिभूतियों में व्यापार (ट्रेडिंग) के प्रकटीकरणों में प्रतिभूतियों के व्युत्पन्नियों (डेरिवेटिव) में व्यापार (ट्रेडिंग) भी सम्मिलित होगा और इस अध्याय के प्रयोजनार्थ व्युत्पन्नियों के व्यापारित मूल्य (ट्रेडिड वैल्यू) पर विचार किया जायेगा :

परंतु यह कि प्रतिभूतियों के व्युत्पन्नियों में व्यापार (ट्रेडिंग) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अनुज्ञात हो ।

(4) इस अध्याय के अधीन किये गये प्रकटीकरण कंपनी द्वारा, पाँच वर्षों की न्यूनतम अवधि हेतु, ऐसे रूप में रखे जायेंगे जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये ।

## **कतिपय व्यक्तियों द्वारा प्रकटीकरण**

### **7. (1) आरंभिक प्रकटीकरण**

(क). <sup>25</sup>[ प्रत्येक कंपनी, जिसकी प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, का प्रत्येक संप्रवर्तक (प्रमोटर),

---

<sup>25</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2019 द्वारा 21 जनवरी, 2019 से खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित । इस संशोधन से पूर्व खंड (क) इस प्रकार था -

"प्रत्येक कंपनी, जिसकी प्रतिभूतियाँ किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों, का प्रत्येक संप्रवर्तक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और निदेशक इन विनियमों के प्रभावी होने की तारीख को कंपनी की प्रतिभूतियों की अपनी धारिता (होल्डिंग), इन विनियमों के प्रभावी होने के तीस दिनों के भीतर कंपनी को प्रकट करेगा ;"

संप्रवर्तक समूह (प्रमोटर ग्रुप) का प्रत्येक सदस्य, प्रबंध-मंडल का प्रत्येक मुख्य व्यक्ति (प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक) और प्रत्येक निदेशक इन विनियमों के प्रभावी होने की तारीख को कंपनी की प्रतिभूतियों की अपनी धारिता (होल्डिंग), इन विनियमों के प्रभावी होने के तीस दिनों के भीतर कंपनी को प्रकट करेंगे;]

- (ख). <sup>26</sup>[कंपनी के प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक) या निदेशक के रूप में नियुक्त होने पर अथवा संप्रवर्तक या संप्रवर्तक समूह का सदस्य बनने पर प्रत्येक व्यक्ति नियुक्ति अथवा संप्रवर्तक या संप्रवर्तक समूह का सदस्य बनने की तारीख को कंपनी की प्रतिभूतियों की अपनी धारिता (होल्डिंग), ऐसी नियुक्ति अथवा इस प्रकार संप्रवर्तक या संप्रवर्तक समूह का सदस्य बनने के सात दिनों के भीतर कंपनी को प्रकट करेगा ।]

## (2) सतत प्रकटीकरण

- (क). प्रत्येक कंपनी का प्रत्येक <sup>27</sup>[संप्रवर्तक, संप्रवर्तक समूह का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक पदाभिहित व्यक्ति और प्रत्येक निदेशक] कंपनी को ऐसी प्रतिभूतियों (जिनका अर्जन या व्ययन किया गया) की संख्या ऐसे संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) से व्यापार के दो दिनों (ट्रेडिंग डे) के भीतर प्रकट करेगा यदि व्यापारित प्रतिभूतियों के मूल्य, किसी कलेंडर तिमाही के दौरान चाहे एक संव्यवहार में या अनेक संव्यवहारों में, का योग ऐसा व्यापारित मूल्य हो जो दस लाख रुपये या ऐसे अन्य मूल्य जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये से अधिक हो;

---

<sup>26</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2019 द्वारा 21 जनवरी, 2019 से खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित । इस संशोधन से पूर्व खंड (ख) इस प्रकार था -

"कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या निदेशक के रूप में नियुक्त होने पर अथवा संप्रवर्तक बनने पर प्रत्येक व्यक्ति नियुक्ति या संप्रवर्तक बनने की तारीख को कंपनी की प्रतिभूतियों की अपनी धारिता (होल्डिंग), ऐसी नियुक्ति या इस प्रकार संप्रवर्तक बनने के सात दिनों के भीतर कंपनी को प्रकट करेगा ।"

<sup>27</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2019 द्वारा 21 जनवरी, 2019 से प्रतिस्थापित ।

(ख). प्रत्येक कंपनी ऐसे व्यापार (ट्रेडिंग) के ब्यौरे, ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण की प्राप्ति के या ऐसी जानकारी होने से व्यापार के दो दिनों (ट्रेडिंग डे) के भीतर, उस स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करेगी जहाँ प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हों।

स्पष्टीकरण. - शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उप-विनियम के अधीन किसी प्रकटीकरण के पश्चात् और होने वाले संव्यवहारों का प्रकटीकरण किया जायेगा, जब पूर्व प्रकटीकरण के पश्चात् किये गये संव्यवहार उप-विनियम (2) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट सीमा-रेखा (थ्रेसहोल्ड) पार कर जायें ।

*अन्य संबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रकटीकरण*

(3) कोई कंपनी, जिसकी प्रतिभूतियाँ स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों, अपने विवेकानुसार किसी अन्य संबद्ध व्यक्ति या संबद्ध व्यक्तियों के वर्ग से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह कंपनी की प्रतिभूतियों में धारिताओं (होल्डिंग्स) तथा व्यापार (ट्रेडिंग) के प्रकटीकरण ऐसे प्ररूप में और ऐसे अंतराल पर करे, जैसा इन विनियमों के अनुपालन के अनुश्रवण के लिए कंपनी द्वारा अवधारित किया जाये ।

**टिप्पण** : यह प्रावधान सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों को उनसे जानकारी माँगने में समर्थ बनाता है जिनको सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी उपलब्ध करानी होती है । यह प्रावधान किसी कंपनी को ऐसी जानकारी मंगाने का अधिकार प्रदान करता है । उदाहरण के लिए, सूचीबद्ध कंपनी यह कह सकती है कि प्रबंध परामर्शदाता, जो उसे कारपोरेट नीति के संबंध में सलाह देगा और जिससे अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी की समीक्षा करना अपेक्षित होगा, अपने व्यापारों (ट्रेड) के प्रकटीकरण कंपनी को करे ।

#### **अध्याय – IV**

### **उचित प्रकटीकरण संहिता और आचार संहिता**

#### **उचित प्रकटीकरण संहिता**



8. (1) प्रत्येक कंपनी, जिसकी प्रतिभूतियाँ स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों, का निदेशक बोर्ड, अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता बनायेगा और उसे अपने अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा जिसका अनुसरण वह कंपनी इन विनियमों की अनुसूची-क में निर्धारित प्रत्येक सिद्धांत का पालन करने के लिए करेगी, और साथ ही किसी भी प्रकार से इन विनियमों के उपबंधों के प्रभाव को कम नहीं किया जायेगा ।

**टिप्पण :** इस प्रावधान का आशय प्रत्येक कंपनी, जिसकी प्रतिभूतियाँ स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हों, से यह अपेक्षा करना है कि वह ऐसी घटनाओं आदि के उचित प्रकटीकरण हेतु एक निश्चित ढाँचा और नीति बनाये, जो बाजार में उसकी प्रतिभूतियों के कीमत-निर्धारण (प्राइस डिसक्वरी) को प्रभावित कर सकती हों । अनुसूची में सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं, जैसे कि जानकारी तक पहुँच रखने की समानता के, नीतियों (जैसे लाभांश संबंधी, इनऑर्गेनिक ग्रोथ परसूट्स संबंधी, विश्लेषकों के साथ कॉल्स तथा बैठकों संबंधी) के प्रकाशन के, ऐसी कॉल्स तथा बैठकों की अनुलिपियों के प्रकाशन के, और इसी तरह की अन्य बातों के ।

(2) अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण के लिए प्रत्येक ऐसी पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता और उसके प्रत्येक संशोधन की सूचना तुरंत उन स्टॉक एक्सचेंजों को दी जायेगी, जहाँ प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हों ।

**टिप्पण :** इस प्रावधान का उद्देश्य उप-विनियम (1) के अंतर्गत बनायी गयी नीति के पारदर्शी प्रकटीकरण की अपेक्षा करना है ।

## आचार संहिता

9. (1) <sup>28</sup>[प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी का निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) और प्रत्येक मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) का निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) या उसके संगठन का प्रमुख

---

<sup>28</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से शब्दों और चिहनों "प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी का निदेशक बोर्ड और बाजार मध्यवर्ती, इन विनियमों के अनुपालन हेतु, अपने कर्मचारियों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले व्यापार (ट्रेडिंग) को विनियमित करने, उसका अनुश्रवण करने तथा उसकी रिपोर्ट देने के लिए एक आचार संहिता बनायेगा, जिसके अंतर्गत इन विनियमों की अनुसूची-ख में निर्धारित न्यूनतम मानकों को अपनाया जायेगा और साथ ही किसी भी प्रकार से इन विनियमों के उपबंधों के प्रभाव को कम नहीं किया जायेगा ।" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(प्रधान) यह सुनिश्चित करेगा (करेंगे) कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर) या प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर), उनके अनुमोदन (उनकी मंजूरी) से एक आचार संहिता, इन विनियमों के पालन हेतु, अपने पदाभिहित व्यक्तियों (ड्रेसिंगनेटेड पर्सन्स) तथा पदाभिहित व्यक्तियों के सीधे नातेदारों द्वारा किए जाने वाले व्यापार (की जाने वाली ट्रेडिंग) को विनियमित (रेग्यूलेट) करने, उस पर नज़र रखने [उसका अनुश्रवण (उसे मॉनीटर) करने] तथा उसकी रिपोर्ट देने के लिए बनाएगा, और ऐसी आचार संहिता बनाते समय इन विनियमों की अनुसूची-ख (सूचीबद्ध कंपनी के मामले में) और अनुसूची-ग (मध्यवर्ती के मामले में) में निर्धारित न्यूनतम मानक अपनाए जाएं और साथ ही किसी भी प्रकार से इन विनियमों के प्रावधानों (उपबंधों) के प्रभाव को कम न किया जाए।]

<sup>29</sup>[**स्पष्टीकरण** - शंका को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जो मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, उनसे यह अपेक्षित होगा कि वे आचार संहिता बनाएं, ताकि उनके पदाभिहित व्यक्तियों (ड्रेसिंगनेटेड पर्सन्स) द्वारा किए जाने वाले व्यापार (की जाने वाली ट्रेडिंग) को विनियमित (रेग्यूलेट) किया जा सके, उस पर नज़र रखी जा सके [उसका अनुश्रवण (उसे मॉनीटर) किया जा सके] और उसकी रिपोर्ट दी जा सके, और ऐसी आचार संहिता बनाते समय अनुसूची-ख [उनकी अपनी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में व्यापार (ट्रेडिंग) से संबंधित] तथा अनुसूची-ग [अन्य प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में व्यापार (ट्रेडिंग) से संबंधित] में निर्धारित न्यूनतम मानक अपनाए जाएं।]

**टिप्पण** : आशय यह है कि प्रत्येक कंपनी, जिसकी प्रतिभूतियाँ स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हों, और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक <sup>30</sup>[\*\*\*\*] मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) से अनिवार्य रूप से यह अपेक्षित हो कि वह <sup>31</sup>[पदाभिहित

<sup>29</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया गया ।

<sup>30</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से शब्द "बाजार" का लोप हो गया ।

<sup>31</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से शब्दों "अपने कर्मचारियों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

व्यक्तियों (डेसिग्नेटेड पर्सन्स) तथा उनके सीधे नातेदारों] द्वारा किये जाने वाले व्यापार (ट्रेडिंग) को विनियमित करने हेतु एक आचार संहिता बनाये । यह अपेक्षित है कि <sup>32</sup>[अनुसूचियों] में निर्धारित मानकों का समावेश ऐसी आचार संहिता में अवश्य हो ।

(2) <sup>33</sup>[ऐसे प्रत्येक अन्य व्यक्ति, जिससे कारबारी क्रियाकलापों के दौरान अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी से संबंधित कामकाज देखना अपेक्षित हो, का निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) या उसके संगठन का प्रमुख (के प्रमुख), इन विनियमों के पालन हेतु, अपने पदाभिहित व्यक्तियों (डेसिग्नेटेड पर्सन्स) तथा पदाभिहित व्यक्तियों के सीधे नातेदार द्वारा किये जाने वाले व्यापार (की जाने वाली ट्रेडिंग) को विनियमित (रेग्युलेट) करने, उस पर नज़र रखने [उसका अनुश्रवण (उसे मॉनीटर) करने] तथा उसकी रिपोर्ट देने के लिए एक आचार संहिता बनाएगा, और ऐसी आचार संहिता बनाते समय इन विनियमों की अनुसूची-ग में निर्धारित न्यूनतम मानक अपनाए जाएंगे और साथ ही किसी भी प्रकार से इन विनियमों के प्रावधानों (उपबंधों) के प्रभाव को कम नहीं किया जाएगा ।

**स्पष्टीकरण** - इन विनियमों के प्रयोजनार्थ, सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों को सहायता प्रदान करने वाली या सलाह देने वाली व्यावसायिक फर्मों [जैसे लेखापरीक्षकों (ऑडिटर्स), एकाउंटेंसी फर्मों, विधि (लॉ) फर्मों, विश्लेषकों (एनालिस्ट), दिवाला संबंधी पेशेवर एंटिटियों, परामर्शदाताओं, बैंकों आदि] का उल्लेख सामूहिक रूप से वैश्वासिक एंटिटियों (फिड्यूशरी) के रूप में किया जाएगा ।]

---

<sup>32</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से शब्द "अनुसूची" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>33</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से शब्दों और चिह्नों "प्रत्येक अन्य व्यक्ति, जिससे कारबारी कार्यकलापों के दौरान अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी से संबंधित कामकाज देखना अपेक्षित हो, इन विनियमों के अनुपालन हेतु, कर्मचारियों और अन्य संबद्ध व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले व्यापार (ट्रेडिंग) को विनियमित करने, उसका अनुश्रवण करने तथा उसकी रिपोर्ट देने के लिए एक आचार संहिता बनायेगा, जिसके अंतर्गत इन विनियमों की अनुसूची-ख में निर्धारित न्यूनतम मानकों को अपनाया जायेगा और साथ ही किसी भी प्रकार से इन विनियमों के उपबंधों के प्रभाव को कम नहीं किया जायेगा ।" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>34</sup>**टिप्पण** : इस प्रावधान का आशय सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों और मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) से भिन्न व्यक्तियों, जिनसे अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी से संबंधित कामकाज देखना अपेक्षित हो, के लिए यह अनिवार्य करना है कि वे अपने पदाभिहित व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में किए जाने वाले व्यापार (की जाने वाली ट्रेडिंग) को विनियमित करने हेतु एक आचार संहिता बनाएं। इन एंटिटियों में शामिल हैं - सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों को सहायता प्रदान करने वाली या सलाह देने वाली व्यवसायिक फर्में [जैसे लेखापरीक्षक (ऑडिटर), एकाउंटेंटसी फर्म, विधि (लॉ) फर्म, विश्लेषक (एनालिस्ट), दिवाला संबंधी पेशेवर एंटिटियाँ, परामर्शदाता, बैंक आदि]। यहाँ तक कि ऐसी एंटिटियाँ भी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी से संबंधित कामकाज देख सकती हैं, जो सामान्यतः पूँजी बाजार के बाहर क्रियाशील हों। इस प्रावधान के अनुसार उन सभी को आचार संहिता बनानी होगी।]

(3) आचार संहिता बनाने वाली प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी, <sup>35</sup>[मध्यवर्ती] और अन्य व्यक्ति इन विनियमों के अधीन आचार संहिता तथा अन्य अपेक्षाओं के पालन हेतु एक अनुपालन अधिकारी का चयन करेगा और उसे पदाभिहित करेगा।

**टिप्पण** : इस प्रावधान का आशय किसी ज्येष्ठ अधिकारी को अनुपालन अधिकारी के रूप में पदाभिहित करना है, जो आचार संहिता के पालन हेतु और इन विनियमों के अनुपालन का अनुश्रवण करने के लिए जिम्मेदार होगा।

<sup>34</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से प्रतिस्थापित। इस संशोधन से पूर्व टिप्पण इस प्रकार था -

**टिप्पण** : इस प्रावधान का आशय सूचीबद्ध कंपनियों और बाजार मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) से भिन्न ऐसे व्यक्तियों, जिनसे अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी से संबंधित कामकाज देखना अपेक्षित हो, के लिए यह अनिवार्य करना है कि वे अपने कर्मचारियों द्वारा प्रतिभूतियों में किये जाने वाले व्यापार (ट्रेडिंग) को विनियमित करने हेतु एक आचार संहिता बनायें। इन एंटिटियों के अंतर्गत सूचीबद्ध कंपनियों, बाजार मध्यवर्तियों और पूँजी बाजार (कैपिटल मार्केट) के अन्य सहभागियों (पार्टिसिपेंट) की सहायता करने वाली या को सलाह देने वाली व्यवसायिक फर्में शामिल हैं, जैसे लेखापरीक्षक (ऑडिटर), एकाउंटेंटसी फर्म, विधि (लॉ) फर्म, विश्लेषक (एनालिस्ट), परामर्शदाता (कन्सल्टेंट), आदि। यहाँ तक कि ऐसी एंटिटियाँ भी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी से संबंधित कामकाज देख सकती हैं, जो सामान्यतः पूँजी बाजार के बाहर क्रियाशील हों। इस प्रावधान के अनुसार उन सभी को आचार संहिता बनानी होगी।”

<sup>35</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से शब्दों “बाजार मध्यवर्ती” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

<sup>36</sup>[(4) उप-विनियम (1) तथा (2) के प्रयोजनार्थ, निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) या ऐसी ही अन्य प्राधिकरण अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायंस ऑफिसर) के परामर्श से ऐसे पदाभिहित व्यक्तियों का निर्धारण, ज्येष्ठता एवं पेशेबद्ध पद के आधार पर करने के अलावा संगठन में उनकी भूमिका तथा कार्य के आधार पर और ऐसी भूमिका तथा कार्य के मद्देनजर अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक उनकी पहुंच के आधार पर करेगा तथा जो आचार संहिता के दायरे में आएंगे और जिनमें शामिल होंगे:-

(i) ऐसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी, मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या वैश्वसिक एंटीटी (फिड्यूशरी) के कर्मचारी, जिन्हें उनके निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) या ऐसे ही निकाय (बॉडी) द्वारा संगठन में उनकी कार्यात्मक भूमिका के आधार पर या अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक उनकी पहुंच के आधार पर पदाभिहित किया गया हो;

(ii) ऐसी सूचीबद्ध कंपनियों की महत्त्वपूर्ण समनुषंगियों (सब्सिडियरी) के कर्मचारी, जिन्हें उनके निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) द्वारा संगठन में उनकी कार्यात्मक भूमिका के आधार पर या अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक उनकी पहुंच के आधार पर पदाभिहित किया गया हो;

(iii) सूचीबद्ध कंपनियों के सभी संप्रवर्तक (प्रमोटर) और ऐसे संप्रवर्तक जो व्यक्ति हों अथवा मध्यवर्तियों या वैश्वसिक एंटीटियों (फिड्यूशरी) के लिए निवेश कंपनियाँ हों;

(iv) ऐसी सूचीबद्ध कंपनी, मध्यवर्ती, वैश्वसिक एंटीटी (फिड्यूशरी) और उसकी महत्त्वपूर्ण समनुषंगियों (सब्सिडियरी) का मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी से दो स्तर नीचे के कर्मचारी, फिर चाहे कंपनी में उनकी कार्यात्मक भूमिका जो भी हो या अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक उनकी पहुंच हो या न हो;

(v) सूचीबद्ध कंपनी, मध्यवर्ती या वैश्वसिक एंटीटी का कोई सहायक स्टाफ (कर्मि) जैसे आईटी स्टाफ या सेक्रेटरी स्तर का स्टाफ जिनकी पहुंच अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक हो ।]

---

<sup>36</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया गया ।

<sup>37</sup>[अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) को रोकने के लिए संस्थागत व्यवस्था

9क. (1) सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी, मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या वैश्वसिक एंटीटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर), प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर) या ऐसा ही अन्य व्यक्ति, अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) को रोकने हेतु इन विनियमों में दी हुई अपेक्षाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्त और कारगर व्यवस्था निर्धारित करेगा ।

(2) आंतरिक नियंत्रणों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- क) उन सभी कर्मचारियों की पहचान पदाभिहित कर्मचारी के रूप में की जाए जिनकी पहुँच अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक हो;
- ख) समस्त अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी की पहचान की जाएगी और इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उसकी गोपनीयता बनाई रखी जाएगी;
- ग) अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी की संसूचना या प्राप्ति के संबंध में पर्याप्त प्रतिबंध (निर्बंधन) लगाए जाएंगे, जैसा कि इन विनियमों के अनुसार अपेक्षित है;
- घ) उन सभी कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों की सूचियाँ बनाकर रखी जाएंगी जिनके साथ अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी साझा की जाती हो और गोपनीयता संबंधी करारों पर हस्ताक्षर करवाए जाएंगे या ऐसे सभी कर्मचारियों तथा व्यक्तियों को सूचना (नोटिस) की तामील कर दी जाएगी;
- ड) इन विनियमों के तहत निर्धारित की गई अन्य समस्त संबंधित अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा;
- च) ऐसे आंतरिक नियंत्रण कारगर हैं या नहीं इसका आकलन करने के लिए प्रक्रिया की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी ।

(3) प्रत्येक सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी का निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) और मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) तथा वैश्वसिक एंटीटियों (फिड्यूशरी) का निदेशक मंडल या उनके संगठन का प्रमुख (के प्रमुख) यह सुनिश्चित करेगा (करेंगे) कि मुख्य कार्यपालक

---

<sup>37</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया गया ।

अधिकारी या प्रबंध निदेशक या ऐसा ही अन्य व्यक्ति विनियम 9 और इस विनियम के उप-विनियम (1) एवं (2) का पालन सुनिश्चित करते हैं ।

(4) सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी की लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमिटी) अथवा मध्यवर्ती या वैश्वसिक एंटीटी (फिड्यूशरी) के लिए ऐसा ही अन्य निकाय (बॉडी) एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार इन विनियमों के प्रावधानों (उपबंधों) के पालन की समीक्षा करेगा और यह सत्यापित करेगा कि आंतरिक नियंत्रण की व्यवस्थाएँ पर्याप्त हैं और कारगर ढंग से काम कर रही हैं।

(5) प्रत्येक सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के लीक होने या अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के लीक होने का संदेह होने के मामले में जाँच हेतु लिखित रूप में नीतियाँ और प्रक्रियाएँ बनाएगी, जिनकी मंजूरी कंपनी के निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) द्वारा दी जाएगी और तदनुसार वह अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के लीक होने का पता चलने पर या अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के लीक होने का संदेह होने पर उपयुक्त जाँच शुरू करेगी और इस प्रकार जानकारी के लीक होने, इस प्रकार की जाने वाली जाँचों और इस प्रकार की जाने वाली जाँचों के परिणामों की सूचना बोर्ड को तुरंत देगी ।

(6) सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी के यहाँ पर्दाफाश करने (व्हिसल-ब्लोअर) संबंधी नीति होगी और वह कर्मचारियों को ऐसी नीति से अवगत कराएगी, ताकि कर्मचारी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के लीक होने की घटनाओं आदि की रिपोर्ट कर सकें ।

(7) यदि अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के लीक होने या अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के लीक होने का संदेह होने के मामले में सूचीबद्ध कंपनी द्वारा जाँच शुरू की गई हो, तो संबंधित मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) और वैश्वसिक एंटीटियाँ (फिड्यूशरी) सूचीबद्ध कंपनी द्वारा की जा रही ऐसी जाँच के संबंध में सूचीबद्ध कंपनी को सहयोग करेगी।]

**विविध**

**अतिक्रमणों के लिए अनुशास्ति**

10. इन विनियमों के किसी उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई बोर्ड द्वारा अधिनियम के अनुसार की जायेगी ।

**कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति**

11. इन विनियमों के उपबंधों के निर्वचन या लागू होने के संबंध में किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बोर्ड को मार्गदर्शन टिप्पणों (गाइडेन्स नोट्स) या परिपत्रों (सर्कुलर्स) के माध्यम से निदेश जारी करने की शक्ति होगी :

परंतु यह कि जहाँ कोई निदेश बोर्ड द्वारा इन विनियमों के किसी उपबंध के निर्वचन या लागू होने के संबंध में किसी विनिर्दिष्ट मामले में जारी किया जाता है, तो वहाँ ऐसा केवल संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर दिये जाने के पश्चात् और निदेश के कारणों को अभिलिखित किये जाने के पश्चात् किया जायेगा ।

**निरसन और व्यावृत्तियाँ**

12. (1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 एतद्वारा निरसित किये जाते हैं ।

(2) ऐसा निरसन हो जाने पर भी, -

(क) निरसित विनियमों का पूर्व प्रवर्तन अथवा उनके अधीन सम्यक् रूप से की गयी या सहन की गयी कोई बात, निरसित विनियमों के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, निरसित विनियमों का उल्लंघन करते हुए किये गये किसी अपराध की बाबत उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दंड, अथवा यथापूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार, अप्रभावित रहेंगे मानो कि निरसित विनियम कभी निरसित ही न हुए हों ; और



(ख) निरसित विनियमों के अधीन, ऐसे निरसन के पूर्व, की गयी किसी बात या की गयी किसी कार्रवाई अथवा किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात या किसी कार्रवाई, जिसमें प्रारंभ किया गया कोई न्यायनिर्णयन, जाँच या अन्वेषण अथवा जारी की गयी कारण बताओ सूचना सम्मिलित है, के बारे में यह समझा जायेगा कि वह इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गयी है ;

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 के निरसन के पश्चात्, बोर्ड द्वारा बनाये गये किन्हीं अन्य विनियमों, तदधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाइडलाइन्स) या परिपत्रों में उसके किसी संदर्भ के बारे में यह समझा जायेगा कि वह इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के प्रति एक संदर्भ है ।

### **अनुसूची - क**

*[विनियम 8 का उप-विनियम (1) देखें]*

#### **अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण हेतु पद्धति एवं प्रक्रिया संहिता के प्रयोजनार्थ उचित प्रकटीकरण के सिद्धांत**

1. विश्वसनीय और ठोस जानकारी के आते ही अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी (जो कीमत-निर्धारण को प्रभावित कर सकती हो) का तुरंत सार्वजनिक प्रकटीकरण, ताकि ऐसी जानकारी साधारणतः उपलब्ध हो सके ।
2. अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का एकसमान और व्यापक प्रसार, ताकि चुनिंदा प्रकटीकरण से बचा जा सके ।
3. जानकारी के प्रसार और अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के प्रकटीकरण हेतु किसी ज्येष्ठ अधिकारी को मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी के रूप में पदाभिहित करना ।
4. जिस अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का अनजाने में या अन्यथा चुनिंदा प्रकटीकरण हो गया हो, उस अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का तुरंत

- प्रसार करना ताकि ऐसी जानकारी साधारणतः उपलब्ध हो सके ।
5. समाचार रिपोर्टों पर आधारित प्रश्नों आदि और विनियामक प्राधिकरणों (रेग्यूलेटरी ऑथारिटीज़) द्वारा बाजार अफवाहों के सत्यापन के अनुरोधों के प्रति उपयुक्त एवं निष्पक्ष प्रतिक्रिया ।
  6. यह सुनिश्चित करना कि विश्लेषकों और अनुसंधान कार्मिकों के साथ साझा की जाने वाली जानकारी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी न हो ।
  7. विश्लेषकों के साथ बैठकों और अन्य निवेश संपर्क संबंधी सम्मेलनों की कार्यवाहियों की अनुलिपियाँ या के अभिलेख अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु सर्वोत्तम पद्धतियाँ विकसित करना, ताकि आधिकारिक पुष्टि और किये गये प्रकटीकरणों का डॉक्यूमेंटेशन सुनिश्चित हो सके ।
  8. जानने की आवश्यकता के आधार पर समस्त अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का प्रबंधन ।

### अनुसूची - ख

<sup>38</sup>[*विनियम 9 का उप-विनियम (1) देखें*]

**पदाभिहित व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार (की जाने वाली ट्रेडिंग) को विनियमित (रेग्यूलेट) करने, उस पर नज़र रखने [उसका अनुश्रवण (उसे मॉनीटर) करने] तथा उसकी रिपोर्ट देने के संबंध में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए आचार संहिता हेतु न्यूनतम मानक]**

1. अनुपालन अधिकारी निदेशक बोर्ड को रिपोर्ट करेगा और विशिष्टतया, लेखापरीक्षा (ऑडिट) समिति, यदि कोई हो, के अध्यक्ष को या निदेशक बोर्ड के अध्यक्ष को ऐसे अंतराल पर रिपोर्टें देगा, जैसा निदेशक बोर्ड द्वारा नियत <sup>39</sup>[किया जाए, परंतु वर्ष में एक

<sup>38</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से परिवर्णन निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा :

*"[विनियम 9 का उप-विनियम (1) एवं उप-विनियम (2) देखें]*

***अंतरंग व्यक्तियों द्वारा व्यापार (ट्रेडिंग) को विनियमित करने, उसका अनुश्रवण करने तथा उसकी रिपोर्ट देने संबंधी आचार संहिता हेतु न्यूनतम मानक"***

<sup>39</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से शब्दों "किया जाये" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

बार से कम नहीं] ।

2. समस्त जानकारी संगठन के भीतर ही, जानने की आवश्यकता के आधार पर, दी जायेगी और कोई भी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी किसी व्यक्ति को संसूचित नहीं की जायेगी, सिवाय वहाँ जहाँ ऐसी संसूचना <sup>40</sup>[\*\*\*\*] विधिसम्मत प्रयोजनों, कर्तव्यों के पालन या <sup>41</sup>[\*\*\*\*] विधिक बाध्यताओं के निर्वहन हेतु हो । आचार संहिता में चाइनीज़ वॉल संबंधी उपयुक्त प्रक्रियाओं हेतु मानक, और किसी पदाभिहित व्यक्ति को "क्रॉस द वॉल" हेतु अनुमति देने संबंधी प्रक्रियाएँ शामिल होंगी ।

3. <sup>42</sup>[संगठन में पदाभिहित व्यक्ति और पदाभिहित व्यक्तियों के सीधे नातेदार प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में व्योहार (डीलिंग) को विनियमित करने वाली आंतरिक आचार संहिता द्वारा विनियमित होंगे ।]

4. पदाभिहित व्यक्ति इन विनियमों के अनुपालन के अध्यक्षीन व्यापार (ट्रेड) कर सकेंगे । इस उद्देश्य हेतु, आनुमानिक व्यापार पटल (नोशनल ट्रेडिंग विंडो) का इस्तेमाल पदाभिहित व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले व्यापार (ट्रेडिंग) पर निगरानी रखने (को मॉनीटर करने) के एक जरिये के तौर पर किया जायेगा । व्यापार पटल (ट्रेडिंग विंडो) तब बंद कर दिया जायेगा जब अनुपालन अधिकारी को यह निश्चित हो जाये कि ऐसी युक्तियुक्त प्रत्याशा है कि पदाभिहित व्यक्ति या पदाभिहित व्यक्तियों के वर्ग के कब्जे में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी है । इस प्रकार ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में व्यापार पटल (ट्रेडिंग विंडो) बंद कराया जायेगा, जिनसे ऐसी अप्रकाशित कीमत

---

<sup>40</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से शब्दों "अंतरंग व्यक्ति के" का लोप हो गया ।

<sup>41</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से शब्द "उसकी" का लोप हो गया ।

<sup>42</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से खंड 3. के स्थान पर प्रतिस्थापित । इस संशोधन से पूर्व खंड 3. इस प्रकार था -

"3. संगठन में अपनी कार्यात्मक भूमिका के आधार पर पदाभिहित कर्मचारी और संबद्ध व्यक्ति ("पदाभिहित व्यक्ति") प्रतिभूतियों में व्योहार (डीलिंग) को विनियमित करने वाली आंतरिक आचार संहिता द्वारा विनियमित होंगे । निदेशक बोर्ड अनुपालन अधिकारी के परामर्श से ऐसे पदाभिहित व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करेगा, जिन्हें संगठन में उनकी भूमिका और कार्य के आधार पर ऐसी संहिता के दायरे में लाया जाना हो । ज्येष्ठता और पेशेबद्ध पद के अलावा, उस पहुँच पर भी पूरा ध्यान दिया जायेगा जिसके अनुसार ऐसी भूमिका और ऐसे कार्य के फलस्वरूप अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी तक पहुँच उपलब्ध होती हो ।"

संवेदनशील जानकारी संबंध रखती हो । जिस समय व्यापार पटल (ट्रेडिंग विंडो) बंद हो, उस समय पदाभिहित व्यक्ति और उनके सीधे नातेदार प्रतिभूतियों में व्यापार (ट्रेड) नहीं करेंगे ।

<sup>43</sup>[व्यापार (ट्रेडिंग) पर प्रतिबंध (निर्बंधन) की अवधि को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से वित्तीय परिणामों की घोषणा होने के बाद 48 घंटों तक लागू किया जा सकता है ।

लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमिटी) द्वारा लेखों (अकाउंट्स) को मंजूरी प्रदान किए जाने और बोर्ड की बैठक होने के बीच का समय-अंतराल जितना संभव हो सके उतना कम होना चाहिए, और महत्वपूर्ण जानकारी को लीक होने से बचाने के लिए बेहतर यही रहेगा कि वे एक ही दिन हो जाएं ।]

5. व्यापार पटल (ट्रेडिंग विंडो) के पुनः खुलने का समय अनुपालन अधिकारी द्वारा विभिन्न कारकों पर विचार करके तय किया जायेगा, जिनमें सम्मिलित हैं - संबद्ध अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी का साधारणतः उपलब्ध जानकारी बन जाना और बाजार द्वारा समावेश के लायक बनना, जो किसी भी दशा में जानकारी के साधारणतः उपलब्ध जानकारी बन जाने के पश्चात् अड़तालीस घंटों से पहले नहीं होगा । <sup>44</sup>[\*\*\*\*]

6. जिस समय व्यापार पटल (ट्रेडिंग विंडो) खुला हो, उस समय पदाभिहित व्यक्तियों द्वारा व्यापार (ट्रेडिंग) अनुपालन अधिकारी की पूर्व-मंजूरी के अध्यक्षीन होगा, यदि प्रस्तावित व्यापारों (ट्रेड) का मूल्य ऐसी सीमाओं (थ्रेसहोल्ड) से अधिक हो, जो निदेशक बोर्ड निर्धारित करे । <sup>45</sup>[\*\*\*\*]

---

<sup>43</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया गया ।

<sup>44</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से शब्दों और चिहनों "व्यापार पटल (ट्रेडिंग विंडो) ऐसे किसी व्यक्ति के लिए भी लागू होगा जिसका कंपनी के साथ संविदात्मक या वैश्वसिक संबंध हो, जैसे लेखापरीक्षक (ऑडिटर), अकाउंटेंसी फर्म, विधि (लॉ) फर्म, विश्लेषक, परामर्शदाता, आदि, जो कंपनी की सहायता करते हों या को सलाह देते हों ।" का लोप हो गया ।

<sup>45</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से शब्दों और चिहनों " कोई भी पदाभिहित व्यक्ति किसी प्रस्तावित व्यापार (ट्रेड) की पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन नहीं करेगा यदि ऐसे पदाभिहित व्यक्ति के कब्जे में अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी हो फिर भले ही व्यापार पटल (ट्रेडिंग विंडो) बंद न हुआ हो।" का लोप हो गया ।

7. <sup>46</sup>[\*\*\*\*]

8. किन्हीं व्यापारों (ट्रेड) को अनुमोदित करने से पूर्व, अनुपालन अधिकारी इस आशय की घोषणाएँ मंगाने का हकदार होगा कि पूर्व-मंजूरी हेतु आवेदन करने वाले आवेदक के कब्जे में कोई अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी नहीं है। वह इस बात पर भी ध्यान देगा कि क्या कोई ऐसी घोषणा तर्कसंगत रूप से गलत ठहरायी जा सकने योग्य है।

9. आचार संहिता में किसी ऐसी उपयुक्त समय-सीमा का उल्लेख होगा, जो किसी भी दशा में व्यापार के सात दिनों (ट्रेडिंग-डे) से अधिक नहीं होगी, जिसके भीतर पदाभिहित व्यक्ति को वे व्यापार (ट्रेड) करने होंगे जिनके लिए पूर्व-मंजूरी दी जा चुकी हो, ऐसा न होने की स्थिति में किये जाने वाले व्यापारों (ट्रेड) के लिए फिर से पूर्व-मंजूरी लेनी होगी।

10. आचार संहिता में उस अवधि का उल्लेख होगा, जो किसी भी दशा में छह महीनों से कम की नहीं होगी, जिसके भीतर वह पदाभिहित व्यक्ति जिसे व्यापार (ट्रेड) करने की अनुमति हो, कॉण्ट्रा ट्रेड नहीं करेगा। अनुपालन अधिकारी को यह शक्ति दी जा सकेगी कि वह, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसे निर्बंधन के कड़ाई से लागू होने को शिथिल कर सकेगा बशर्ते कि इस प्रकार शिथिल किये जाने से इन विनियमों का अतिक्रमण (उल्लंघन) न हो। अगर कॉण्ट्रा ट्रेड, चाहे अनजाने में या अन्यथा, ऐसे निर्बंधन का उल्लंघन करके किया जाये, तो ऐसे व्यापार (ट्रेड) से होने वाले मुनाफे (लाभ) बोर्ड को प्रत्यर्पित किये (लौटाये) जाने के दायी होंगे, ताकि उन्हें निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि, जिसका संचालन अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा किया जाता है, में जमा किया जा सके।

<sup>47</sup>[परंतु यह कि यह स्टॉक ऑप्शनों (विकल्पों) का प्रयोग करने के अनुसरण में किए

---

<sup>46</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से खंड 7. का लोप हो गया। इस संशोधन से पूर्व खंड 7. इस प्रकार था -

*"7. अनुपालन अधिकारी गोपनीय रूप से ऐसी प्रतिभूतियों की सूची "निर्बंधित सूची" के रूप में रखेगा, जिसका इस्तेमाल व्यापारों (ट्रेड) की पूर्व-मंजूरी के आवेदनों को मंजूर (अनुमोदित) करने या नामंजूर करने के आधार के तौर पर किया जायेगा।"*

<sup>47</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया गया।

जाने वाले व्यापारों (ट्रेड्स) हेतु लागू नहीं होगा ।]

11. आचार संहिता में ऐसे फार्मेट निर्धारित होंगे, जो निदेशक बोर्ड - पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन करने के संबंध में, किये गये व्यापारों (ट्रेड) की रिपोर्ट देने के संबंध में, पूर्व-मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् व्यापार (ट्रेड) न करने के निर्णयों (विनिश्चयों) की रिपोर्ट देने के संबंध में <sup>48</sup>[\*\*\*\*] और ऐसे अंतरालों (जो आवश्यकतानुसार निर्धारित किये जायें) पर प्रतिभूतियों में धारिताओं (होल्डिंग्स) के रिपोर्टिंग लैवल (स्तर) के संबंध में, इन विनियमों के अनुपालन पर निगरानी रखने (को मॉनीटर करने) के लिए आवश्यक समझे।

12. <sup>49</sup>[अधिनियम के तहत बोर्ड की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आचार संहिता में ऐसी अनुशास्तियों (सैंक्शन्स) और अनुशासनिक कार्रवाइयों का उल्लेख होगा, जिनमें शामिल हैं - वेतन आदि पर रोक, निलंबन, वसूली, क्लॉबैक आदि, जो उस सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी द्वारा, आचार संहिता के उल्लंघन के लिए, अधिरोपित की (लगाई) जा सकेंगी, जिस सूचीबद्ध कंपनी से विनियम 9 के उप-विनियम (1) के तहत आचार संहिता बनाना अपेक्षित है ।]

13. <sup>50</sup>[आचार संहिता में यह उल्लेख होगा कि यदि उस सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी द्वारा, जिससे विनियम 9 के उप-विनियम (1) के तहत आचार संहिता बनाना अपेक्षित है,

---

<sup>48</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से शब्दों और चिह्नों " , ऐसे निर्णयों (विनिश्चयों) के कारणों को अभिलिखित करने के संबंध में" का लोप हो गया ।

<sup>49</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से खंड 12. के स्थान पर प्रतिस्थापित । इस संशोधन से पूर्व खंड 12. इस प्रकार था -

*"अधिनियम के अधीन बोर्ड की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आचार संहिता में ऐसी अनुशास्तियों (सैंक्शन्स) और अनुशासनिक कार्रवाइयों का उल्लेख होगा, जिनमें सम्मिलित हैं - वेतन आदि पर रोक, निलंबन, आदि, जो उन व्यक्तियों द्वारा, आचार संहिता के उल्लंघन के लिए, अधिरोपित की जा सकेंगी, जिन व्यक्तियों से विनियम 9 के उप-विनियम (1) तथा उप-विनियम (2) के अधीन आचार संहिता बनाना अपेक्षित है ।"*

<sup>50</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से खंड 13. के स्थान पर प्रतिस्थापित । इस संशोधन से पूर्व खंड 13. इस प्रकार था -

*"आचार संहिता में यह उल्लेख होगा कि यदि उन व्यक्तियों द्वारा, जिनसे विनियम 9 के उप-विनियम (1) तथा उप-विनियम (2) के अधीन आचार संहिता बनाना अपेक्षित है, यह पाया जाये कि इन विनियमों का अतिक्रमण (उल्लंघन) हुआ है, तो वे तुरंत बोर्ड को सूचित करेंगे ।"*

यह पाया जाए कि इन विनियमों का उल्लंघन हुआ है, तो वह बोर्ड को तुरंत सूचित करेगी ।]

<sup>51</sup>[14. पदाभिहित व्यक्तियों से यह अपेक्षित होगा कि वे कंपनी को निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम तथा स्थायी खाता संख्या (पैन) या कानून (विधि) के अनुसार प्राधिकृत किसी अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज की जानकारी, वार्षिक आधार पर तथा जब कभी भी इस जानकारी में बदलाव हो, प्रकट करें:

क) सीधे नातेदार

ख) वे व्यक्ति जिनके साथ ऐसे पदाभिहित व्यक्ति (व्यक्तियों) का महत्त्वपूर्ण वित्तीय संबंध हो

ग) उनके द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे फोन, मोबाइल, सैल नंबर

इसके अलावा, उन शैक्षणिक संस्थाओं के नाम, जहाँ से पदाभिहित व्यक्तियों ने स्नातक किया हो, और उनके पुराने नियोक्ताओं (जिनके यहाँ वे पहले कार्य करते थे) के नाम भी एक बार प्रकट किए जाएं ।

स्पष्टीकरण - शब्दों “महत्त्वपूर्ण वित्तीय संबंध” से ऐसा संबंध अभिप्रेत होगा जिसमें कोई व्यक्ति ठीक पहले के बारह महीनों के दौरान किसी भी प्रकार का भुगतान (जैसे ऋण या उपहार के माध्यम से मिलने वाला भुगतान), जो ऐसे भुगतानकर्ता की वार्षिक आय के कम से कम 25% के बराबर हो, प्राप्त करता हो, किंतु इसमें वे संबंध शामिल नहीं होंगे जिनमें भुगतान समुचित दूरी कायम रखते हुए किए जाने वाले लेनदेनों (संव्यवहार / ट्रांजैक्शन्स) के आधार पर किया जाता हो ।]

<sup>52</sup>[15. सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियों की ऐसी प्रक्रिया होगी, जिसके अनुसार यह निर्धारित किया जाएगा कि संवेदनशील लेनदेनों (संव्यवहारों / ट्रांजैक्शन्स) के संबंध में लोगों को

---

<sup>51</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया गया ।

<sup>52</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया गया ।

कैसे और कब अंतरंग जानकारी दी जाएगी । व्यक्तियों को अंतरंग जानकारी प्राप्त करने से जुड़े कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों से अवगत कराया जाएगा, और ऐसी जानकारी के गलत उपयोग या अनधिकृत उपयोग से जुड़े दायित्व से भी अवगत कराया जाएगा।]

### <sup>53</sup>[अनुसूची-ग

*[विनियम 9 का उप-विनियम (1) एवं उप-विनियम (2) देखें]*

पदाभिहित व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले द्वारा व्यापार (की जाने वाली ट्रेडिंग) को विनियमित (रेग्यूलेट) करने, उस पर नज़र रखने [उसका अनुश्रवण (उसे मॉनीटर) करने] तथा उसकी रिपोर्ट देने के संबंध में मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) एवं वैश्वसिक एंटिटियों (फिड्यूशरी) के लिए आचार संहिता हेतु न्यूनतम मानक

1. अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) या संगठन के प्रमुख (प्रमुखों) [या इस संबंध में गठित की गई समिति] को रिपोर्ट करेगा और खास तौर पर, लेखापरीक्षा (ऑडिट) समिति या ऐसे ही अन्य निकाय (बॉडी), यदि कोई हो, के अध्यक्ष को अथवा निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) के अध्यक्ष या संगठन के प्रमुख (प्रमुखों) को ऐसे अंतराल पर रिपोर्टें देगा, जैसा निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) या संगठन के प्रमुख (प्रमुखों) द्वारा नियत किया जाए, किंतु वर्ष में एक बार से कम नहीं ।

2. समस्त जानकारी संगठन के भीतर ही, जानने की आवश्यकता के आधार पर, दी जाएगी और कोई भी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी किसी व्यक्ति को सूचित (संसूचित) नहीं की जाएगी, सिवाय वहाँ जहाँ ऐसी सूचना (संसूचना) विधिसम्मत प्रयोजनों, कर्तव्यों के पालन या विधिक बाध्यताओं के निर्वहन हेतु हो । आचार संहिता

---

<sup>53</sup> भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से अंतःस्थापित किया गया ।



में चाइनीज़ वॉल संबंधी उपयुक्त प्रक्रियाओं हेतु मानक, और किसी पदाभिहित व्यक्ति को "क्रॉस द वॉल" हेतु अनुमति देने संबंधी प्रक्रियाएँ शामिल होंगी ।

3. संगठन में पदाभिहित व्यक्ति और पदाभिहित व्यक्तियों के सीधे नातेदार प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में व्यौहार (डीलिंग) को विनियमित करने वाली आंतरिक आचार संहिता द्वारा विनियमित होंगे ।

4. पदाभिहित व्यक्ति इन विनियमों के पालन (अनुपालन) के अध्यक्षीन व्यापार (ट्रेड) कर सकेंगे । पदाभिहित व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला व्यापार (ट्रेडिंग) अनुपालन अधिकारी (अधिकारियों) की पूर्व-मंजूरी के अध्यक्षीन होगा, यदि प्रस्तावित व्यापारों (ट्रेड) का मूल्य ऐसी सीमाओं (सीमा-रेखा / थ्रेसहोल्ड) से अधिक हो, जो निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) या संगठन का प्रमुख (के प्रमुख) निर्धारित करे (करें) । कोई भी पदाभिहित व्यक्ति किसी प्रस्तावित व्यापार (ट्रेड) की पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन नहीं करेगा, यदि ऐसे पदाभिहित व्यक्ति के पास (के कब्जे में) अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी हो फिर भले ही व्यापार पटल (ट्रेडिंग विंडो) बंद न हुआ हो ।

5. अनुपालन अधिकारी गोपनीय रूप से ऐसी प्रतिभूतियों की सूची "निर्बंधित सूची" के रूप में रखेगा, जिसका इस्तेमाल व्यापारों (ट्रेड) की पूर्व-मंजूरी के आवेदनों को मंजूर करने या नामंजूर करने के आधार के तौर पर किया जाएगा ।

6. किन्हीं व्यापारों (ट्रेड) को मंजूरी प्रदान करने (अनुमोदित करने) से पूर्व, अनुपालन अधिकारी इस आशय की घोषणाएँ माँगेगा कि पूर्व-मंजूरी हेतु आवेदन करने वाले आवेदक के पास (के कब्जे में) कोई अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी नहीं है । वह इस बात पर भी ध्यान देगा कि क्या कोई ऐसी घोषणा तर्कसंगत रूप से गलत ठहराई जा सकने योग्य है ।

7. आचार संहिता में किसी ऐसी उपयुक्त समय-सीमा का उल्लेख होगा, जो किसी भी दशा में व्यापार के सात दिनों (ट्रेडिंग डे) से अधिक नहीं होगी, जिसके भीतर पदाभिहित

व्यक्ति को वे व्यापार (ट्रेड) करने होंगे जिनके लिए पूर्व-मंजूरी दी जा चुकी हो, ऐसा न होने की स्थिति में किए जाने वाले व्यापारों (ट्रेड) के लिए फिर से पूर्व-मंजूरी लेनी होगी।

8. आचार संहिता में उस अवधि का उल्लेख होगा, जो किसी भी दशा में छह महीनों से कम की नहीं होगी, जिसके भीतर वह पदाभिहित व्यक्ति, जो सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी का संबद्ध व्यक्ति हो और जिसे ऐसी सूचीबद्ध कंपनी की प्रतिभूतियों में व्यापार (ट्रेड) करने की अनुमति हो, कॉण्ट्रा ट्रेड नहीं करेगा। अनुपालन अधिकारी को यह शक्ति दी जा सकेगी कि वह, ऐसे कारणों से जो लिखित रूप में रिकॉर्ड (अभिलिखित) किए जाएँ, ऐसे प्रतिबंध (निर्बंधन) को कड़ाई से लागू करने के संबंध में ढील दे सकेगा (को शिथिल कर सकेगा), बशर्ते कि इस प्रकार ढील दिए (शिथिल किए) जाने से इन विनियमों का उल्लंघन न हो। अगर कॉण्ट्रा ट्रेड, चाहे अनजाने में या अन्यथा, ऐसे प्रतिबंध (निर्बंधन) का उल्लंघन करके किया जाए, तो ऐसे व्यापार (ट्रेड) से होने वाले मुनाफे (लाभ) बोर्ड को प्रत्यर्पित किए (लौटाए) जाने के दायी होंगे, ताकि उन्हें निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि, जिसका संचालन अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा किया जाता है, में जमा किया जा सके :

परंतु यह कि यह स्टॉक ऑप्शनों के प्रयोग के अनुसरण में किए जाने वाले व्यापारों (ट्रेड्स) हेतु लागू नहीं होगा।

9. आचार संहिता में ऐसे फार्मेट निर्धारित होंगे, जो निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) या संगठन का प्रमुख (के प्रमुख) [या इस संबंध में गठित की गई समिति] - पूर्व-मंजूरी के लिए आवेदन करने के संबंध में, किए गए व्यापारों (ट्रेड) की रिपोर्ट देने के संबंध में, पूर्व-मंजूरी प्राप्त करने के पश्चात् व्यापार (ट्रेड) न करने के निर्णयों (विनिश्चयों) की रिपोर्ट देने के संबंध में, ऐसे निर्णयों (विनिश्चयों) के कारणों को अभिलिखित (रिकॉर्ड) करने के संबंध में और ऐसे अंतरालों (जो आवश्यकतानुसार निर्धारित किए जाएँ) पर प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में धारिताओं (होल्डिंग्स) के रिपोर्टिंग लैवल (स्तर) के संबंध में, इन विनियमों के पालन पर नज़र रखने [का अनुश्रवण (को मॉनीटर) करने] के लिए आवश्यक समझे।

10. अधिनियम के तहत बोर्ड की शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आचार संहिता में ऐसी अनुशास्तियों (सैंक्शन्स) और अनुशासनिक कार्रवाइयों का उल्लेख होगा, जिनमें शामिल हैं - वेतन आदि पर रोक, निलंबन, वसूली, क्लॉबैक आदि, जो उस मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या वैश्वसिक एंटीटी (फिड्यूशरी) द्वारा, आचार संहिता के उल्लंघन के लिए, अधिरोपित की (लगाई) जा सकेंगी, जिस मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या वैश्वसिक एंटीटी से विनियम 9 के उप-विनियम (1) तथा उप-विनियम (2) के तहत आचार संहिता बनाना अपेक्षित है ।

11. आचार संहिता में यह उल्लेख होगा कि यदि उस मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या वैश्वसिक एंटीटी (फिड्यूशरी) द्वारा, जिससे विनियम 9 के क्रमशः उप-विनियम (1) या उप-विनियम (2) के तहत आचार संहिता बनाना अपेक्षित है, यह पाया जाए कि इन विनियमों का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसा मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या ऐसी वैश्वसिक एंटीटी बोर्ड को तुरंत सूचित करेगी ।

12. सभी पदाभिहित व्यक्तियों से यह अपेक्षित होगा कि वे मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) या वैश्वसिक एंटीटी को निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम तथा स्थायी खाता संख्या (पैन) या कानून (विधि) के अनुसार प्राधिकृत किसी अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज की जानकारी, वार्षिक आधार पर तथा जब कभी भी इस जानकारी में बदलाव हो, प्रकट करें:

क) सीधे नातेदार

ख) वे व्यक्ति जिनके साथ ऐसे पदाभिहित व्यक्ति (व्यक्तियों) का महत्त्वपूर्ण वित्तीय संबंध हो

ग) उनके द्वारा इस्तेमाल में लाए जा रहे फोन, मोबाइल, सैल नंबर

इसके अलावा, उन शैक्षणिक संस्थाओं के नाम, जहाँ से पदाभिहित व्यक्तियों ने शिक्षा प्राप्त की हो, और उनके पुराने नियोक्ताओं (जिनके यहाँ वे पहले कार्य करते थे) के नाम भी एक बार प्रकट किए जाएंगे ।

स्पष्टीकरण - शब्दों “महत्त्वपूर्ण वित्तीय संबंध” से ऐसा संबंध अभिप्रेत होगा जिसमें कोई व्यक्ति ठीक पहले के बारह महीनों के दौरान किसी भी प्रकार का भुगतान (जैसे ऋण या उपहार के माध्यम से मिलने वाला भुगतान), जो ऐसे भुगतानकर्ता की वार्षिक आय के कम से कम 25% के बराबर हो, प्राप्त करता हो, किंतु इसमें वे संबंध शामिल नहीं होंगे जिनमें भुगतान समुचित दूरी कायम रखते हुए किए जाने वाले लेनदेनों (संव्यवहार / ट्रांजैक्शन्स) के आधार पर किया जाता हो ।

13. मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरी) और वैश्वासिक एंटिटियों की ऐसी प्रक्रिया होगी, जिसके अनुसार यह निर्धारित किया जाएगा कि संवेदनशील लेनदेनों (संव्यवहारों / ट्रांजैक्शन्स) के संबंध में लोगों को कैसे और कब अंतरंग जानकारी दी जाएगी । व्यक्तियों को अंतरंग जानकारी प्राप्त करने से जुड़े कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों से अवगत कराया जाएगा, और ऐसी जानकारी के गलत उपयोग या अनधिकृत उपयोग से जुड़े दायित्व से भी अवगत कराया जाएगा।]

**यू.के. सिन्हा**

**अध्यक्ष**

**भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**